न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 483/2025

श्री अशोक कुमार मोदी पुत्र श्री बजरंग लाल मोदी, जाति महाजन, निवासी मोदी रोड, मोदी भवन, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं, सदस्य पब्लिक अंगेस्ट करप्सन संस्था।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 24.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 13.11.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 483/2025 पर दिनांक 13.11.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/5006—5007 दिनांक 13.11.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक सू0अ0/रीडर/2025/1062 दिनांक 21.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक श्री अशोक कुमार मोदी पुत्र श्री बजरंग लाल मोदी, जाति महाजन, निवासी मोदी रोड, मोदी भवन, झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदक को उनके आवेदन दिनांकित 29.09.2025 द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1055 दिनांक 20.11.2025 द्वारा स्पीड पोस्ट (रजिस्टर्उ डाक) के सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक सू0अ0/रीडर/2025/1062 दिनांक 21.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक श्री अशोक कुमार मोदी पुत्र श्री बजरंग लाल मोदी, जाति महाजन, निवासी मोदी रोड, मोदी भवन, झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदक को उनके आवेदन दिनांकित 29.09.2025 द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1055 दिनांक 20.11.2025 द्वारा स्पीड पोस्ट (रजिस्टर्उ डाक) के सूचित किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि चाही गई सूचना न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 8जे एवं 11ए के तहत देय नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 24.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं